कोटेशन–आमंत्रण

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पूरा पता :– प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

2. कार्य का नाम :– चिकित्सा छात्र/छात्राओं , पदाधिकारी, कर्मचारियों एवं आगुन्तकों के लिए Cafeteria संचालन के लिए।

3. कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– दिनांक– 30.01.2023 के 5:00 बजे संध्या तक।
4. कोटेशन खोलने की तिथि/स्थानः– दिनांक– 31.01.2023/प्राचार्य कार्यालय वेश्म।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के महाविद्यालय परिसर स्थित कैंटीन मे चिकित्सा छात्रा/छात्राओं, पदाधिकारीयों, कर्मचारियों एवं आगुन्तकों के लिए कैंटीन संचालन हेतु दिनांक– 23.08.2021 तक रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

कोटेशन की शर्तेः–

05. प्रचलित बाजार दर पर चाय/ नास्ता/ अल्पाहार/भोजन एवं पैक खाद्य सामग्री की खुली बिक्री का कार्य संचालित किया जाना है। प्रत्यके सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता साफतौर पर उल्लेखित की जानी चाहिए।

06. अग्रधन की राशिः–
निविदादाता को अग्रधन की राशि के रूप मे 50000/–(पचास हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से संलग्न करना होगा।

07. आवश्यक प्रमाण पत्रः–
(I) PAN Card की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(II) GST पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(III) फर्म का न्यूनतम वार्षिक औसत कारोबार 15 (पंद्रह)लाख रूपये होने संबंधी प्रमाण पत्र।
(IV) किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में कैंटीन संचालन संबंधी प्रमाण पत्र।
(V) Food Licence का प्रमाण पत्र।

08. किराया एवं अन्य शर्तेः–
(I) कैंटीन संचालन हेतु किराया 5000/–(पॉच हजार) रूपये (न्यूनतम) देय होगा, अधिकतम किराया देने वाले संस्थान को वरीयता दी जायेगी।
(II) बिजली का किराया व्यवसायिक दर से अलग से देना होगा।
(III) Menu का निर्धारण एकरारनामा पश्चात् कमिटि द्वारा किया जायेगा।
(IV) विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–623(1), दिनांक–04.08.2022 के आदेशानुसार कैंटीन संचालन सम्पोषित सामुदायिक संगठन यथा दीदी की रसोई को चलाने का निदेश दिया गया है, जिसके आलोक में प्राचार्य कार्यालय के पत्रांक–995, दिनांक–04.11.2022 को जिला परियोजना प्रबंधक, जिविका, मधेपुरा को कैंटीन के संचालन हेतु पत्र दिया गया है। जिविका के आने के पश्चात् कैंटीन संचालन का कार्य जिविका के द्वारा कराया जाएगा।
(V) कैंटीन संचालन के एकरारनामा की अवधी 11(ग्यारह) माह या जिविका के आने तक जो भी पहले हो तब तक के लिए होगी।

ह०/–
प्राचार्य
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

ज्ञापांक – 48 /मधेपुरा, दिनांक 18/01/2023
प्रतिलिपिः– कार्यालय प्रधान, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा को सूचना पट्ट पर चिपकाने एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर मख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/23
प्राचार्य
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
18/01/2023

C:\Users\manik\Downloads\New Microsoft Word Document (5).docx

Scanned with CamScanner